न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम निवास (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :- 46/2021 (दो अपील निर्णय)

कम्प्यूटर संख्या :- 2021/116

[illegible]

1. पूली पत्नी श्री हिमांशु — जाति मुस्लिम निवासी फैजपुर
2. [illegible] पत्नी श्री हिमांशु — तहसील गंगापुर सिटी।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. समसुद्दीन पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी फैजपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मृतक)

 1/1 मुश्ताक
 1/2 मुख्तार
 1/3 बाबूदीं
 1/4 साजिद — पुत्रान समसुद्दीन

 1/5 अमामन बेवा समसुद्दीन

 1/6 रुबीना पुत्री समसुद्दीन

 1/7 असमा पुत्री समसुद्दीन

 समस्त जातियान मुस्लिम निवासी फैजपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

2. [illegible] द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी।
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा [illegible] गंगापुर सिटी।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री प्रमप्रकाश जोशी अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिनेशचन्द्र अभिभाषक उपस्थित।
3. प्रत्यर्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांक:– 02.01.23

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 40/2020 बउनवान रामसुद्दीन बनाम भूली में पारित निर्णय दिनांक 11.02.21 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस्/वादीगण द्वारा दिनांक 26.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अपीलांटस्/प्रतिवादीगण, मातहत अदालत सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 11.02.21 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित आराजीयात पर अपीलांटस्/प्रतिवादीगण को मूल वाद के निर्णित होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस् ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमो में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 11/6 रकबा 6 बीघा स्थित रही है, तदोपरान्त भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि में से नवीन खसरा नम्बर 25 रकबा 1.04 हैक्टेयर रामधन पुत्र अर्जुन गुर्जर के साथ आपसी रजामन्दी से अदला–बदली कर ली। रेस्पोडेन्ट ने रामधन पुत्र अर्जुन से उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 63, 298, 299, 300, 321/914 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर में रामधन के हिस्से की भूमि 0.65 हैक्टेयर का बदल पत्र उपपंजीयक गंगापुर सिटी के यहां पंजीबद्व करवा लिया तथा रेस्पोडेन्ट की खसरा नम्बर 25 मे शेष रही भूमि रकबा 0.39 हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर 1013/25 रकबा 0.39 हैक्टेयर बना जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र रामधन पुत्र अर्जुन गुर्जर को बेच दिया । अर्थात कुल 1.53 हैक्टेयर भूमि का हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किया जा चुका है! लेकिन मातहत आदेश ने मुल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 24/858 रकबा 0.06 है0, ख0 न0 26/856 रकबा 0.20 है0, 28/857 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 23/859 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 34 रकबा 0.83 है0 में से ख0 न0 25 से लगती हुई 0.03 हैक्टेयर भूमि जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से प्रदर्शित की हुई है , पर मौका एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित कर दिए है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के आदेश दिनांक 11.02.21 को अपास्त फरमाया जावें। अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

पीलअधिकारी
ई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को जरिये सामन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा उभयपक्षों को बिना उचित सुनवाई का मौका दिए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर , मातहत अदालत सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी का निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

9. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। एकपक्षीय अधिवक्ता अपीलाट की बहस पर मनन किया गया।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधान निम्नानुसार है:—

"212:-Provision for injuction and appointment of a receiver.-(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise

(a) that any property to which such suit or proce[illegible]tes is in danger of being wasted, damaged or alie[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
[illegible]ई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of justice"

11. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के उपर्युक्त प्रावधान अनुसार डिक्री की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि वे किस प्रकार पार्टी के पक्ष है:-

(1) प्रथम दृष्टया केस।
(2) सुविधा का संतुलन।
(3) अपूरणीय क्षति।

12. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपने निर्णय में उक्त तीनों में से किसी भी एक की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार प्रकरण पार्टी के पक्ष में है। ऐसे निर्णय, निर्णय की श्रेणी में नहीं आते है। और अपास्त योग्य है।

13. पूर्वान्त 2003 आर.आर.डी. पेज 180 पर भी इसी मत को प्रतिपादित किया गया है:-
"rajasthan tenancy act 1955- appeal against order of RAA- held order of trial court dated 26-06-1968 is a two lined order, not discussed in detail, has no legal sanity and doesn't amount to judgement order of RAA confirmed."

14. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 11.02.21 प्रकरण रामसुखीन बनाम मूली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों के तीनों बिंदुओं को न करने से केवल दो लाइनों का आदेश होने से, नॉन स्पीकिंग आदेश होने से, विधिक आदेश नहीं माना जा सकता है और निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

15. यह निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हरि राम मीणा) 02.01.2023
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner